



2026:AHC-LKO:39989

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 3918 वर्ष 2026

होसिला प्रसाद और एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मो.अल्ताफ मंसूर, आदित्य विक्रम सिंह

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 12

माननीय न्यायमूर्ति जफीर अहमद

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. आरोपी-आवेदक **होसिला प्रसाद और अखिलेश @ अखिलेश कुमार** ने मुकदमा अपराध संख्या 34/2025 में धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 103(1), 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन चंदपुर, जिला रायबरेली के तहत जमानत मांगी है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकों द्वारा दिया गया गैर-न्यायिक बयान पुलिस के दबाव और अनुचित व्यवहार के कारण था। इसके अलावा, उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतक की हत्या करने का उनका कोई इरादा या पूर्वचिन्ता नहीं थी और यह घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

4. आगे यह भी निवेदन किया है कि सह-आरोपियों के बयानों से भी स्पष्ट है कि किसी भी आरोपी का कोई अपराध करने का इरादा नहीं था। घायल व्यक्तियों ने भी अपने बयानों में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह घटना भूमि विवाद का परिणाम थी।

5. यह तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी संजीव कुमार सिंह उर्फ राहुल बहुबनाली, दीपक सिंह, रणविजय सिंह, अभिषेक सिंह, सुहेल, विकास पाल और देवाशीष सिंह चौहान को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ जमानत आदेश दाखिल किए जा चुके हैं, सिवाय विकास पाल की याचिका के जिसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आवेदक 7.7.2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदकों के भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक सह-आरोपियों के समान होने का दावा करते हैं। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन आवेदकों को उपलब्ध समानता के आधार से इनकार नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और साथ ही अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक 7.7.2025 से न्यायिक हिरासत में है; उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है; सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है; कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं समानता के आधार पर आवेदकों को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूं।

9. तदनुसार, समानता के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

10. उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा संख्या में आरोपी **होसिला प्रसाद और अखिलेश उर्फ अखिलेश कुमार** को उक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे;

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे;

(iii) आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे।

11. मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, अधीनस्थ न्यायालय/संबंधित अदालत द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

जून 2, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फहीम/-

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।